1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. / Dated : 14 / 01 /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

1.6(b)

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ..14-01-2015... At .14:00hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

1.6(c)

13

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ....चमोली.........परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.105 .हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 .हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/015.....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री ...किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ( ) अध्यक्ष

2:– श्री शिवानन्द सुमन....... उप प्रभागीय बनाधिकारी .... सदस्य,

3:– श्री मोहन सिहं भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग .सदस्य/सचिव,

4:– श्री गौतम सिंह बिष्ट.... बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत ....कोटी.... सदस्य,

5:– श्री मालचन्द पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य

6 श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समीति सदस्य

7 श्री नरेन्द्र सिंह नेगी

ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगतकृकोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अण्ध्रिानियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 1.099......हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

1.6(d)

(15)

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण –पत्र
ग्राम पंचायत का नामः– घतोडा,
तहसील – कर्णप्रयाग, जिला.– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेत (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......घतोडा... .द्वारा दिनांक ......06/01/2015......को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा
ह० [signature]
दि० 6-1-2015
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

[signature] 7/1/15
ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./–

ग्राम सचिव. ग्राम प्रधान– घतोडा,

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – घतोडा,

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1:–	सर्व. श्री रघुवीर सिंह कोटियाल	[signature]
2–	" प्रताप सिंह नेगी	[signature]
3:–	" नन्दन सिंह कोटियाल	नन्दन सिंह
4:–	" अवतार सिंह नेगी	अवतार सिंह
5:–	" प्रेम सिंह पंवार	प्रेम सिंह पं.
6	महिपाल सिंह पंवार	[signature]
7	दिगम्बर सिंह नेगी	[signature]
8	पुष्कर सिंह पंवार	[signature] Panwar
9	धीरेन्द्र सिंह पंवार	धीरेन्द्र सिंह
10	कुलदीप सिंह नेगी	Kuldeep Singh
11	सरिता देवी	सरिता देवी
12	सुनीता देवी	सुनीता देवी

प्रधान ग्राम पंचायत घतोडा ह० दि० 1/11/2015 वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

1 परियोजना का नाम– जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग के प्रस्तावित क्षेत्र के एवज में दोगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण का 10 वर्षीय वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

2 वृक्षारोपण स्थल का नाम–घतोड़ा सिविल।

3 क्षेत्रफल – 1.099x2 = 2.198 या 2.20 है0

4 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या– 2.20है0 x2000 पौध = 4400 पौध

5 रोपित किये जाने वाले प्रजातियॉ–बांज, फनियाट, कचनार, काफल।

क0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
1-	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.20	है0	81.00	178.20
2	स्थल की सफाई कार्य	2.20	है0	2627.00	5779.40
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी0प्र0है0–178.20 घ0मी0)	2.20	है0	22275.00	49005.00
4	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) सेखाकन चूना सहित	4400	गढढे	5.60	24640.00
5	डी0ए0पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढढा।	4400	1.76कु0	1000.00	1760.00
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4400	पौ0	4.40	19360.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य				
	वानस्पतिक चैकडैम/स्टोनचैकडैम, वाटर हार्वेस्टिंगटैंक	2.20	है0	6446.00	14181.20
8	निरीक्षण बटिया बनाना।	2.20	है0	645.00	1419.00
9	अन्य कार्य			LS	5118.00
	योग–				121440.80
2-	द्वितीय वर्ष– रोपण कार्य–				
1	झाडी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)	2.20	है0	1329.00	2923.80
2	गढढा भरान कार्य डी0ए0पी0 मिलाने सहित	4400	पौ0	1.00	4400.00
3	पौध ढुलान कार्य	4400	पौ0	6.20	27280.00
4	पौध रोपण कार्य	4400	पौ0	1.95	8580.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	4400	पौ0	1.33	5852.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	4400	पौ0	1.15	5060.00
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	4400	पौ0	1.25	5500.00
8	वाचर(चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	2.20	7 माह	483/है0	7438.20
9	साईन बोर्ड कय	L.S.			1760.00
10	अन्य व्यय–	L.S.			2926.00
	योग द्वितीय चरण–				71720.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण–				193160.80

क0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	योग
1	2	3	4	5	6
3-	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वेटिंग अप) प्रति है0				
1	पाधों की लागत	440	पौ0	5.65	2486.00
2	पाधे ढुलान कार्य	440	पौ0	6.20	2728.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण कार्य	440	पौ0	3.10	1364.00
4	गढढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	440	पौ0	1.37	602.80
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	440	पौ0	1.15	506.00
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
8	अन्य व्यय			LS	9878.00
	योग तृतीय चरण–				**31020.00**
4-	चतुर्थ चरण (रख–रखाव कार्य)				
	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग चतुर्थ चरण–				**13455.20**
5-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग पंचम चरण–				**13455.20**
6-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग षष्टम चरण–				**13455.20**
7-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग सप्तम चरण–				**13455.20**
8-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग अष्ठम चरण–				**13455.20**
9-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग नवम चरण–				**13455.20**
10-	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.20	12 माह	483/है0	12751.20
	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	2.20	है0	320/है0	704.00
	योग दशम चरण–				**13455.20**
	योग–तृतीय चरण से दशम चरण तक				**125205.00**
	महा योग–				**318365.80**

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डार रेंज
[illegible]

नकल खतौनी N.Z.A ग्राम घेलोडा पटवारी वृत कोटी तह० कर्णप्रयाग जिला चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8 से 21
	श्रेणी ११	५ (ङ) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि बंजर	-				
				12 16	1=	चौखर्का की धार -ऐ-	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				177	८=	गोरेडीबगड	
				184	।।।—	घरसेरा	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				460	८३।।	नगर गैर	
				461	८५।।—	-ऐ-	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				801	।।।≡	नारापुगड	
				803	।।	-ऐ-	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				1180	६=	कुलो धार	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				1661	३८	मैरोली	
				xxx xxx	xxx xxx	xxx xxx	
				1771	२५=	आगरगैर	
				२३०	१६६५।=		

मि० आ० श्रीमान परगनाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग के दि ९-५-६६ के दयाकी कुल हाकी के नाम खनाती कृषि आवास में अमल दरामद किया
ह० पटवारी
९/५/६६

मि० आ० श्रीमान परगनाधिकारी महोदय कर्णप्रयाग के दि ९-५-६६ के कागजू कुल हकी के नाम खनाती भूमि आवास का अमल दरामद किया
ह० पटवारी
९/६/६६

मि० आ० श्रीमान आयुक्त महोदय पौडी के आदेश दि० १२/३/०१ के क्रम में खे० न०
1661 रकबा खतौनी भूमि वनपंचायत के नाम स्वीकृत होने से अमल दरामद
किया गया
ह० पटवारी
कोटी

N.Z.A खतौनी की नकल असल से की गई है।

ह० ।।।/०६
रा० उप नि०
कोटी

तहसीलदार
कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग (चमोली)

उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

उप जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग

प्र-7 अ. नकल खसरा ग्राम - घतोड़ा पटवारी हल्का - कोटी तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली

1	2	3	4	5	6	7 से 21
461	1.911	11	उ० प्र० सरकार	—	—	बंजर 1.911
460	1.655	11	— रि० —	—	—	बंजर 1.655 खसरा नं० 461 रकबा 1.911 है० मध्ये 1.099 है० भूमि खसरा नं० 460 रकबा 1.655 है० मध्ये 1.101 है० भूमि (कुल 2.200 है०) भूमि कोटी बैंड घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु सिविल भूमि प्रस्तावित है।

प्रमाणित, खसरा नकल असल से की गई है

राजस्व उप नि.
कोटी

अनापत्ति प्रमाण पत्र कमेटी द्वारा

प्रमाणित किया जता है कि आज दिनांक 23/11/2015 को ग्राम पंचायत घतोडा – ग्राम सभा सरपंच व ग्राम सभा के ग्रामीणो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.616 हे० वन पंचायत भूमि जो लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित की गयी है उक्त प्रस्तावित भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर हस्तान्तरण किये जाने पर वन पंचायत सरपंच एवं कमेटी के सदस्यों को कोई आपत्ति नही है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

क0सं0	सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
(1)	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
(2)	बलवन्त सिंह	[signature]
(3)	पूरन सिंह	Puran Singh
(4)	खुशहाल सिंह	[signature]
(5)	पुष्कर सिंह	[signature]
(6)	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
(7)	प्रताप सिंह	[signature]
(8)	कुन्दन सिंह	कु-दन सिंह
(9)	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
10	डोगम्बर सिंह	[signature]

सरपंच

लक्ष्मण सिंह
ग्राम- घतोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र वन पंचायत सरपंच

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग कि0मी0 : से 6 तक निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम.........घतोडा............ वन पंचायत की कुल .0.616..........हे0 भूमि का लोक निर्माण विभाग के नाम पर हस्तान्तरण होने में कमेटी के सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः कमेटी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर) सरपंच
लक्ष्मण सिंह
ग्राम- घतोडा
सरपंच
ग्राम पंचायत घतोडा
(चमोली)